



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1184]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1184]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2016

का.आ. 1753(अ).—यतः, मै. लार्सेन एण्ड टूब्रो प्रा. लि., जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में ग्राम अंखोल तथा बापोद, तालुक वडोदरा, जिला वडोदरा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2686 (अ) दिनांक 19 नवंबर, 2008 द्वारा उपर्युक्त को विशेष आर्थिक जोन में 10.00 हेक्टेयर का क्षेत्र अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. लार्सेन एण्ड टूब्रो प्रा. लि ने अब 2.1974 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 2.1974 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 12.1974 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्र. सं	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अंखोल	225 पार्ट	1.1971
2.		223/ए पार्ट	0.2125
3.	बापोद	380/बी पार्ट	0.7542
4.	हनुमानपुरा	49/डी पार्ट-1	0.0336
कुल			2.1974
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			12.1974

[फा. सं. एफ. 1/183/2007-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2016

S.O. 1753(E).—Whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited, a private organization in the State of Gujarat, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at village Ankhol and Bapod, Taluka Vadodara, District Vadodara, in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 10.00 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2686(E) dated 18th November, 2008;

And whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited, has now proposed to include an area of 2.1974 hectares as a part of above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for notification of above area on 25th April, 2014;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **2.1974 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **12.1974 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table namely:—

TABLE

S.No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Ankhol	225 Part	1.1971
2.		223/A Part	0.2125
3.	Bapod	380/B Part	0.7542
4.	Hanumanpura	49/D Part-1	0.0336
Total			2.1974
Grant total area of SEZ after above addition			12.1974

[F. No. F.1/183/2007-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.